संख्या-59/2017/2463 ई-2/तेरह-2017-55/2017

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 30 अक्टूबर,2017

विषयः-बुद्धा रेजीडेन्सी होटल (ए यूनिटआफ बुद्धा रिसार्ट प्रा0लि0) 297, बाराबिरवा, लखनऊ को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-654/जि0आ0अ0/बार अनु0/लखनऊ/2017-18, दिनांक 05 जून,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 27-5-2017 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-190/दस-लाइसेंस-1/खण्ड-15/एफ0एल 06-7/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 17 जुलाई,2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2017-18 के लिये बुद्धा रेजीडेन्सी होटल (ए यूनिटआफ बुद्धा रिसार्ट प्रा0लि0) 297, बाराबिरवा, लखनऊ को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने पर राज्य सरकार की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि अनुज्ञापी द्वारा एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत शासनादेशों/नियमावलियों में विहित शर्तो एवं व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-59/2017/2463(1) ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या- जी-190/दस-लाइसेंस-1/खण्ड-15/ एफ0एल 06-7/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 17 जुलाई,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।